रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 870] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 17, 2013/चैत्र 27, 1935
No. 870] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 17, 2013/CHAITRA 27, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2013

का.आ. 985(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमशः नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

तालिका

क्रम सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों* का विवरण
(1)	(2)	(3)
165एए	848ए	गुजरात राज्य में वापी के निकट रारा-48 से प्रारंभ होकर दादरा और नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र में दादरा-पिपरिया (पिपारिया)-सिलवासा-अल्टानफालिया-भुरकुडफालिया-खादोल-सुरंगी-वेल्लूगांव महाराष्ट्र राज्य में सूत्रकार को जोड़ते हुए तलसारी के निकट रारा-48 के जंक्शन पर समाप्त राजमार्ग

[फा. सं. एनएच-14012/4/2012-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और उसकी अनुसूची भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 815(अ), तारीख 22 मार्च, 2013 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2013

S.O. 985(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act and inserted with the new serial number, the new national highway number and the description of the national highway thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways*
(1)	(2)	(3)
165AA	848A	The highway starting from NH 48 near Vapi in the State of Gujarat connecting Dadra-Pipria (Piparia)-Silvassa-Ultanfalia-Bhurkudfalia-Khadol-Surangi-Velugam in the Union Territory of Dadra Nagar Haveli-Sutrakar and terminating at its junction with NH-48 near Talasari in the State of Maharashtra.

[F.No. NH-14012/4/2012-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Footnote:—The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180, dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 815(E), dated 22nd March, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.